रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2229] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2012/कार्तिक 15, 1934
No. 2229] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2012/KARTIKA 15, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2012

का.आ. 2681(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2011, की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 24472-24474 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2012 के आदेश के अनुपालन में, एतद्द्वारा भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1153(अ), दिनांक 22 मई, 2012, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, नोट 1 और 2 में, शुल्क प्लाजा का अवस्थान प्रतिस्थापित किया जाएगा है, अर्थात् :—

1.

पथकर प्लाजा का अवस्थापन (चैनेज) के लिए	पथकर प्लाजा का अवस्थापन (चैनेज) पढ़ा जाए
703.700 कि.मी. (नागपुर जिले में टिकाड़ी गांव) एनएच-7 चेक टोल प्लाजा सहित काम्पटी – कन्हान बाईपास पर (काम्पटी – कन्हान बाईपास के जंक्शन से एनएच-7 सहित 2-3 कि.मी. दूरी)	690.600 कि.मी. (नागपुर जिले में मनसर गांव के निकट) एनएच-7 चेक टोल प्लाजा सहित काम्पटी – कन्हान बाईपास पर (काम्पटी – कन्हान बाईपास के जंक्शन से एनएच-7 सहित 2-3 कि.मी. दूरी)
19.660 कि.मी. (नागपुर जिले में डोंगरगांव ग्राम) एनएच-7 चेक टोल प्लाजा नागपुर बाईपास पर (जंक्शन से 1-2 कि.मी. दूरी एनएच-7 सहित)	35.600 कि.मी. (नागपुर जिले में बोरखेड़ी गांव के निकट) एनएच-7 चेक टोल प्लाजा नागपुर बाईपास पर (जंक्शन से 1-2 कि.मी. दूरी एनएच-7 सहित)

2.

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) के लिए	पथकर प्लाजा का अवस्थापन (चैनेज) पढ़ा जाए
703.700 कि.मी. (नागपुर जिले में टिकाड़ी गांव) एनएच-7 चेक टोल प्लाजा सहित काम्पटी – कन्हान बाईपास पर (काम्पटी – कन्हान बाईपास के जंक्शन से एनएच-7 सहित 2-3 कि.मी. दूरी)	690.600 कि.मी. (नागपुर जिले में मनसर गांव के निकट) एनएच-7 चेक टोल प्लाजा सहित काम्पटी – कन्हान बाईपास पर (काम्पटी – कन्हान बाईपास के जंक्शन से एनएच-7 सहित 2-3 कि.मी. दूरी)
19.660 कि.मी. (नागपुर जिले में डोंगरगांव ग्राम) एनएच-7 चेक टोल प्लाजा नागपुर बाईपास पर (जंक्शन से 1-2 कि.मी. दूरी एनएच-7 सहित)	35.600 कि.मी. (नागपुर जिले में बोरखेड़ी गांव के निकट) एनएच-7 चेक टोल प्लाजा नागपुर बाईपास पर (जंक्शन से 1-2 कि.मी. दूरी एनएच-7 सहित)

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/661/सी ओ/11-12/जी सी-पंढूरणा (652.00-729.00) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2012

S.O. 2681(E).—In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules- 2008 (hereinafter referred to as the "Rules") the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1153 (E) dated the 22nd May, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), in compliance to the order dated the 11th September, 2012 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Special Leave Petition (Civil) No.24472-24474 of 2011, namely:-

Notes:

1.

For Location of Toll Plaza (Chainage)	Read as Location of Toll Plaza (Chainage)
Km.703.700 (Near Tekadi Village in Nagpur District) of NH-7 along with a check toll plaza on Kamptee-Kanhan Bypass (at 2-3 Km distance from junction of Kamptee-Kanhan Bypass with NH-7).	Km. 690.600 (near Mansar village in Nagpur District) of NH-7 along with a check toll plaza on Kamptee-Kanhan bypass (at 2-3 Km distance from junction of Kamptee- Kanhan Bypass with NH-7).
Km.19.660 (Near Dongargaon Village in Nagpur District) of NH-7 along with a check toll plaza on Nagpur Bypass (at 1-2 km distance from junction with NH-7).	Km. 35.600 (near Borkhedi village in Nagpur District) of NH-7 along with a check toll plaza on Nagpur bypass (at 1-2 km distance from Junction with NH-7)

2.

For Location of Toll Plaza (Chainage)	Read as Location of Toll Plaza (Chainage)
Km.703.700 (Near Tekadi Village in Nagpur District) of NH-7 along with a check toll plaza on Kamptee-Kanhan Bypass (at 2-3 km distance from junction of Kamptee-Kanhan Bypass with NH-7).	Km. 690.600 (near Mansar village in Nagpur District) of NH-7 along with a check toll plaza on Kamptee-Kanhan bypass (at 2-3 km distance from junction of Kamptee- Kanhan Bypass with NH-7).
Km.19.660 (Near Dongargaon Village in Nagpur District) of NH-7 along with a check toll plaza on Nagpur Bypass (at 1-2 km distance from junction with NH-7).	Km. 35.600 (near Borkhedi village in Nagpur District) of NH-7 along with a check toll plaza on Nagpur bypass (at 1-2 km distance from Junction with NH-7)

[F. No. NHAI/13013/661/CO/11-12/GC-Pandhurna (652.00-729.00) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 950]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2012/ज्येष्ठ 1, 1934
No. 950]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2012/JYAISTHA 1, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2012

का.आ. 1153(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 196(अ), तारीख 6 मार्च , 2000, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1192(अ), तारीख 3 दिसम्बर,2001 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल,2002 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के क्रमशः 9.200 कि.मी. से 22.850 कि.मी.और 24.650 कि.मी. से 36.600 कि.मी. (नागपुर - आदिलाबाद सेक्शन) और 651.500 कि.मी. से 729.050 कि.मी. तक (मध्यप्रदेश / महाराष्ट्र सीमा - नागपुर सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम, की धारा 14 के उपबंध के अनुसरण में मैसर्स ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो 15.07.2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है , और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 21, कमर्शियल काम्पलेक्स, मालचा मार्ग, डिपलोमेटिक इन्कलेव, नई दिल्ली - 110021 भारत में है (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के मध्यप्रदेश / महाराष्ट्र सीमा नागपुर सेक्शन के विकास के लिए 652.000 कि.मी से 729.000 कि.मी. और (नागपुर - हैदराबाद सेक्शन) 14.585 कि.मी से 36.600 कि.मी. नागपुर बाईपास और विद्यमान चार लेन के खंड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है), चार लेन के विभाजित कैरिजवे के रूप में विकास तथा प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,

1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु कुल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर फीस (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) और पुलों/संरचना/बाइपास, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के यानों पर सारणी सं. 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर फीस उद्गृहीत और संग्रहीत की जाएगी, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में विनिर्दिष्ट अवसान की तारीख तक फीस का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है :

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण(इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन(एमएवी)(तीन से छह धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार वाले यान (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति फेरा)					
स्थायी पुल, या सुरंग की लागत (करोड़ रू० में)	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान	विशाल आकार यान
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक	1	1.50	3	4.50	6

प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, दो सौ करोड़ रुपए से अधिक	0.50	0.75	1.50	2.25	3

टिप्पण :-

1. इसके अधीन उद्‌गृहीत और संग्रहीत फीस निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगी।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है**
703.700 कि.मी. (नागपुर जिले में टिकाडी गांव) एन.एच -7 चेक टोल प्लाजा सहित काम्पटी - कन्हान बाईपास पर (काम्पटी - कन्हान बाईपास के जंक्शन से एन.एच -7 सहित 2-3 कि.मी. दूरी)	37.303
19.660 कि.मी.(नागपुर जिले में डोंगरगांव ग्राम) एन.एच -7 चेक टोल प्लाजा नागपुर बाईपास पर (जंक्शन से 1-2 कि.मी. दूरी एन.एच -7 सहित)	36.939

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुनः संरेखित बाइपास के उपयोग के लिए, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, की फीस भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगी :

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लम्बाई(कि.मी. में) और बाइपास की लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई	लागत
703.700 कि.मी. (नागपुर जिले में टिकाडी गांव) एन.एच -7 चैक टोल प्लाजा सहित काम्पटी - कन्हान बाईपास पर (काम्पटी - कन्हान बाईपास के जंक्शन से एन.एच -7 सहित 2-3 कि.मी. दूरी)	21.236 कि.मी	314.18 करोड़ रुपये
19.660 कि.मी.(नागपुर जिले में डोंगरगांव ग्राम) एन.एच -7 चेक टोल प्लाजा नागपुर बाईपास पर (जंक्शन से 1-2 कि.मी. दूरी एन.एच -7 सहित)	21.600 कि.मी	278.62 करोड़ रुपये

3. वर्ष 2012- 13 के लिए, स्थानीय निजी यातायात हेतु में मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रुपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण औरं संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर फीस का संदाय करना होगा जो उनसे अगले उच्च प्रवर्ग के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

6 यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7 उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए फीस की दरों को संप्रदर्शित किया जाएगा ।

8 फीस का पुनरीक्षण उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु ये कि पुनरीक्षण छः मास की अवधि के भीतर नहीं किया जायेगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/661/सीओ/11-12/जीसी-पांदुर्ना (652.00-729.00) बीओटी]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2012

S.O. 1153(E).—Whereas by notification of the Government of India in the *Ministry of Road Transport and Highways* number S.O. 196 (E), dated the 6th March, 2000, SO 1192 (E) dated the 3rd December, 2001 and SO 465 (E) dated the 26th April, 2002 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 9.200 to kilometer 22.850 & Kilometer 24.650 to Kilometer 36.600 (Nagpur – Adilabad section), Kilometer 22.850 & Kilometer 24.650 and Kilometer 36.600 – Kilometer 64.000 (Nagpur-Adilabad section) and Kilometer 651.500 – Kilometer 729.050 (Madhya Pradesh/Maharashtra Border – Nagpur section) respectively of National Highway No. 7 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Oriental Nagpur Bye Pass Construction Private Limited, having its registered office at 21, Commercial Complex, Malcha Marg, Diplomatic Enclave, New Delhi-110021, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 15.07.2009 for the development of MP/Maharashtra Border – Nagpur section from Km 652.000 to Km 729.000 & Nagpur Bypass and operation and maintenance of already four laned section from Km 14.585 to Km 36.600 (Nagpur – Hyderabad section) on National Highway No. 7 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structure/ bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or

publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees tow hundred crore.	0.50	0.75	1.50	2.25	3

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 703.700 (near Tekadi Village in Nagpur District) of NH-7 alongwith a check toll plaza on Kamptee – Kanhan Bypass (at 2-3 Km distance from junction of Kamptee –Kanhan Bypass with NH-7.	37.303
Km 19.660 (near Dongargaon Village in Nagpur District) of NH-7 alongwith a check toll plaza on Nagpur bypass (at 1-2 Km distance from junction with NH-7).	36.939

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following Re-alignment bypass, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) and Cost of bypass (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km 703.700 (near Tekadi Village in Nagpur District) of NH-7 alongwith a check toll plaza on Kamptee –Kanhan Bypass (at 2-3 Km distance from junction of Kamptee – Kanhan Bypass with NH-7.	21.236 Km	Rs. 314.18 Crores.
Km 19.660 (near Dongargaon Village in Nagpur District) of NH-7 alongwith a check toll plaza on Nagpur bypass (at 1-2 Km distance from junction with NH-7).	21.600 Km	Rs. 278.62 Crores.

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 200.00 (rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provide that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/661/CO/11-12/GC-Pandhurna (652.00-729.00) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.